

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

दूरभाष 0751 2365523 फ़ैक्स नं० 0751 2366981

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा निविदा (स्क्रेप मेटेरियल) “जहां एवं जिस स्थिति में है” के विक्रय हेतु दरें आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण एवं सामान्य शर्तें अनुसूची क्रमांक प्रथम में दर्शाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को प्राप्त किसी एक या सम्पूर्ण निविदायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिये उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

निविदा प्रस्तुति :-

- (अ) निविदायें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत दिनांक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
- (ब) नियत दिनांक को प्राप्त निविदायें निर्धारित दिनांक को खोली जावेंगी।
- (स) निविदाकर्ताओं को स्पष्ट से निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं में पता, दूरभाष फ़ैक्स नम्बर आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ, ग्वालियर कार्यालय को सूचित करें ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।

धरोहर राशि :-

- (अ) धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगी जिसका विवरण अनुसूची में इंगित किया है।
- (ब) धरोहर राशि असफल, निविदाकर्ताओं को निविदा अनुमोदन के 90 दिन के अन्दर वापिस की जायेगी। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेगी।
- (स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (द) धरोहर राशि ऑनलाईन जमा कर रसीद की प्रति ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित करें जो कि निविदा के साथ संलग्न होगी।
- (इ) प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में प्रतिभूति राशि के भुगतान की छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य निविदाकारों को ई.एम.डी जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा उनकी निविदा अमान्य की जावेगी।

मूल्य/दर :-

निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपयोगी वस्तुओं की दरें निविदा अवधि में स्थिर रहेंगी। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि तक दरों की वैधता को ध्यान में रखकर दरें प्रेषित करें। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 30 दिवस में सूचित किया जायेगा।

॥ अनुसूची प्रथम ॥

सामान्य शर्तें –

- (अ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को अनुपयोगी वस्तुओं के विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार है।
समस्त निविदायें या किसी निविदा को संपूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सुरक्षित रहेगा।
बिका हुआ निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा विक्रय उपरान्त इसे वापिस नहीं लिया जावेगा।
- (ब) निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा, संघ का नहीं।
- (स) निविदा खुलने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (द) निविदा में सुधार या ओव्हर राईटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा ओव्हर राईटिंग पर विवरण पुनः स्पष्ट लिखें।
- (ई) संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता, को संघ अनुपयोगी वस्तुओं की कोई भी निश्चित मात्रा अंश या बिल्कुल नहीं विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है।
- (फ) निविदाकर्ता को, संघ की अनुपयोगी वस्तुएं अनुसूची प्रथम “जहां है जैसी हैं, वैसी ही स्थिति में (क्रय करना) उठाना होगी। छांट कर नहीं उठाया जा सकेगा। स्क्रेप गीला, सूखा क्रय करना/उठाना होगा।
- (ज) निविदा में दरें स्वीकृत होने के 30 दिवस में उपलब्ध समस्त स्क्रेप क्रय करना/उठाना होगा। तत्पश्चात निविदाकर्ता को प्रतिमाह के द्वितीय सप्ताह में सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) से स्क्रेप मेटेरियल उठाने हेतु सम्पर्क करना होगा। स्क्रेप को संघ के निर्देशानुसार समयावधि में अनुमोदित पार्टी को क्रय करना अनिवार्य है।
- (झ) संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तु उठाने हेतु दो स्मरण पत्र दिये जावेंगे जो डाक द्वारा भेजे जावेंगे। उनके उत्तर अप्राप्त होने या उस पर निविदाकर्ता द्वारा वांछित क्रय कार्यवाही न करने की स्थिति में संघ को निविदाकर्ता की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
- निविदाकर्ता अनुसूची क्रमांक-2 में दर्शाई धरोहर राशि वर्ग समूह के आधार पर प्रेषित करना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ताओं को धरोहर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा रहेगी। माल नहीं उठाने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

- यदि निविदाकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई दरें प्रेषित करता है एवं यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत के विपरीत लगता है तो वह निविदा निरस्त कर सकते हैं।
 - निविदाकर्ता द्वारा अनुपयोगी वस्तु की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा उठाना होगी। संघ की किसी भी अनुपयोगी वस्तु की मात्रा को छांटने की अनुमति निविदाकर्ता को नहीं होगी।
 - यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सारी शर्तें स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी।
 - अनुपयोगी स्क्रेप सामग्री एकत्रित करने के लिये निविदाकर्ता को स्वयं का अपना प्रतिनिधि प्रतिदिन सोमवार से शनिवार प्रातः 10.00 बजे से 03.00 बजे तक डेयरी में भेजना होगा। असफल होने की स्थिति में संघ द्वारा स्क्रेप एकत्रित कराया जायेगा, जिसका व्यय स्वयं निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
- (क) स्क्रेप सामग्री का अवलोकन कार्यालयीन समय में निविदा जमा करने की नियत समय सीमा तक किया जा सकेगा।
- (ख) कृय प्रणाली एवं भुगतान – प्रत्येक आयटम/लॉट का विक्रय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जावेगा। सामग्री का निर्गमन निर्धारित धनराशि जमा करवाने के पश्चात् भण्डार शाखा द्वारा आवश्यक प्रपत्र मिलने के बाद ही कार्यालयीन दिवसों में सांय 2.50 बजे तक किया जायेगा खाली गाड़ी व भरी गाड़ी तौलने हेतु संघ के नियमानुसार स्क्रेप क्रेता को शर्तें मान्य करना अनिवार्य है अर्थात् खाली गाड़ी पहले संघ के तौल कांटे पर तौल की जावेगी, इसके बाद तौल कांटे पर वजन किया जावेगा यही प्रक्रिया भरी गाड़ी के वजन कराने में अपनाई जावेगी जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
- संघ स्तर पर कॉटा खराब हो जाने या किसी प्रकार से कॉटा पर वैधता प्रभावित होती है तो आउटसोर्सिंग (बाहरी) धर्मकांटे का प्रयोग करने पर जो भी व्यय होगा वह स्वीकृत निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
- (ग) निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सामग्री की मात्रा अनुमानित है जिसे उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर विक्रय किया जावेगा।
- (घ) निविदाकर्ता को स्क्रेप पर नियमानुसार विक्रय कर, आयकर व अन्य कर निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र में प्रदर्शित निर्धारित ईकाई अनुरूप ही अपनी कृय दर दर्शाना होगी।
- (य) उपयोगी सामग्री को संघ किसी भी समय अलग निकालने को स्वतंत्र रहेगा एवं अनुबंधकर्ताओं को अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की मात्रा को स्वीकार कर कृय करना होगा।
- (र) स्क्रेप ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के निर्देश अनुसार पूर्णतः क्षतिग्रस्त करके ही विक्रय किया जायेगा।
- (ल) संघ के कर्मचारी/अधिकारी को स्वयं के वास्ते जो सामान की आवश्यकता होगी उसे विक्रय नहीं किया जा सकेगा, इसमें निविदाकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

- (व) निविदाकर्ता द्वारा स्क्रेप क्रय हेतु दी गई दरें संघ द्वारा दरों की अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगी। अनुमोदित दरों पर स्क्रेप विक्रय हेतु संघ को समय सीमा छः माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा जो कि निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।
- (द) निविदाकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन न करने पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर का होगा।

(1) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :-

- (अ) निविदाकार एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को सदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कौंसिल अधिनियम 1996 के अन्तर्गत संदर्भित होगी।
- (ब) समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायालयीन कार्यक्षेत्र ग्वालियर शहर रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं प्रतिभूति / सिक्यूरिटी राशि का विवरण

ई.एम.डी राशि रुपये 10000.00

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	दरें प्रेषित करने की इकाई	अनुमानित मात्रा	सुरक्षा राशि
1	कोयले की राख संयंत्र बानमोर/पशु संयंत्र शिवपुरी	प्रति टन	500 मै.टन	10000.00
2	पुराने टायर एवं ट्यूब 1. 1000x20 2. 825x16 3. 7.25x16 4. 7.00x16 5. 7.00x15 6. 205x15 7. 235x15 8. 165x13	प्रति नग	90 टायर – 50 ट्यूब	7000.00
3	टूटी मिल्क क्रेट प्लास्टिक	प्रति कि० ग्राम	900 नग	5000.00
4	लीकेज मिल्क पाउच फिल्म (अनुपयोगी)	प्रति कि० ग्राम	4-5 मै०टन	5000.00
5	मिल्क पाउच फिल्म रोल की खाली पुटठे की बाबिन कोर	प्रति कि० ग्राम	500 कि०ग्राम	2000.00
6	खराब कोरोगेटेड बाक्स	प्रति कि० ग्राम	100 कि०ग्राम	2000.00
7	एस.एम.पी. क्राफ्टपेपर बैग	प्रति कि० ग्राम	5000 नग	2000.00

उपरोक्त मात्राएं अनुमानित हैं, जो कम/अधिक हो सकती हैं। उक्त सामग्री एक माह जहां है जैसी है वैसी ही स्थिति में (क्रय करना) उठाना होगी, छांट कर नहीं उठाया जा सकेगा। स्क्रेप गीला सूखा क्रय करना/उठाना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर शर्तनुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर

Envelope – “A” (Technical Bid & EMD)

1	निविदाकार का नाम/फर्म का नाम व पता	
2	पूरा पता	
3	फोन नं०/मोबाइल नं०	
4	रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	आयकर पेन का विवरण	
6	कर संबंधित जानकारी (यदि है तो)	
	(अ) जी.एस.टी.एन नं.	
7	ई.एम.डी ऑनलाईन जमा राशि	

नाम/फर्म का नाम:—

पद का नाम:—

सील एवं हस्ताक्षर:—

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर

Envelope – “B” (Price Bid)

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	दर (टैक्स अतिरिक्त केता पार्टी द्वारा देय) अंकों में शब्दों में
1	कोयले की राख	
2	पुराने टायर एवं ट्यूब 1. 1000x20 2. 825x16 3. 7.25x16 4. 7.00x16 5. 7.00x15 6. 205x15 7. 235x15 8. 165x13	
3	टूटी मिल्क क्रेट प्लास्टिक	
4	लीकेज मिल्क पाउच फिल्म (अनुपयोगी)	
5	मिल्क पाउच फिल्म रोल की खाली पुटठे की बाबिन कोर	
6	खराब कोरोगेटेड बाक्स	
7	एस.एम.पी. क्राफ्टपेपर बैग	

Other Terms & Conditions		
1	Taxes: As Per Govt. Rules	
2	Delivery Schedule: As Per Tender	
3	Payment Advance	